



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 135।

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2011/माघ 5, 1932

No. 135।

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2011/MAGHA 5, 1932

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2011

का.आ. 165(अ).—नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, भारत सरकार द्वारा स्थापित, संचालित और प्रशासित विद्यालयों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट ब्रेंडों के विद्यालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 1-3/2010-ई-4]

अनिता कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2011

S.O. 165(F).—In exercise of the powers conferred by clause (p) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby specifies the schools established, managed and administered by the Central Tibetan Schools Administration, Government of India as specified category schools for the purposes of the said Act.

[F No. 1-3/2010-1-4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.